

“ कृपया देखें पाराग्राफ – 88”

बिक्री अधिसूचना

वित्तीय 2015-16 (1ली अप्रील 2015 से 31 मार्च 2016 तक) (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री के लिए)

1. इसके साथ संलग्न सूची में अंकित स्थानों या अवस्थिति के क्षेत्रों के लिए देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की खुदरा दुकानों की बन्दोवस्ती दिनांक:- 10.03.2015 को तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन 10:00 बजे दिन से (स्थान) मुंगेर, समाहरणालय सभाकक्ष में लॉटरी प्रणाली द्वारा निर्धारित फीस पर बन्दोवस्त की जायेगी।
2. लॉटरी द्वारा दुकानों की बन्दोवस्ती निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी और इन सभी शर्तों से अपने को प्रतिबद्ध रखते हुए ही कोई व्यक्ति बन्दोवस्ती में भाग ले सकता है।
3. लॉटरी द्वारा बन्दोवस्त होने वाली देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की दुकानों की अवस्थिति के मामले में दुकान के स्थान या स्थान के नाम के बदले एक या अनेक दुकानों की अवस्थिति का क्षेत्र घोषित कर बन्दोवस्ती की जायेगी।
4. (क) सभी प्रकार के शराब के खुदरा दुकानों को लौटरी प्रणाली द्वारा मूल रूप से दुकानवार बन्दोवस्त किया जाएगा लेकिन राजस्व हित में अधिकाधिक दुकानों की बन्दोवस्ती के प्रयोजनार्थ उत्पाद दुकानों की बन्दोवस्ती एकल दुकान या अधिकतम 03 (तीन) खुदरा उत्पाद दुकानों का समूह बनाकर वर्तमान नीति के प्रावधानों के तहत लौटरी द्वारा बन्दोवस्त किया जाएगा। छोटा समूह अधिकतम तीन दुकानों का इस प्रकार बनाया जाएगा जिसमें लाभकर दुकानों के साथ अपेक्षाकृत कम लाभ वाले दुकानें भी रहेंगी।

दुकानों के प्रत्येक समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के लिए तीन व्यक्तियों का नाम लौटरी द्वारा निकाला जाएगा। लौटरी द्वारा निकाले गए प्रथम नाम के साथ ही दुकान की बन्दोवस्ती की जाएगी। यदि किसी कारण से प्रथम व्यक्ति के साथ बन्दोवस्त नहीं हो सके या बन्दोवस्ती के बाद भी यदि अनुज्ञप्ति विखंडित हो जाती है तो उक्त समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के दुकान के लिए चयनित दूसरे लौटरी विजेता तथा उसके मुकर जाने के उपरांत तीसरे लौटरी विजेता के साथ बन्दोवस्ती की जाएगी।

यदि लौटरी विजेता दुकान/दुकानों के समूह की बन्दोवस्ती लेने से मुकर जाता है तो वह राज्य के किसी भी दुकान की बन्दोवस्ती लेने से निरहित हो जाएगा।

(ख) किसी जिला में चयनित आवेदक के साथ तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बन्दोवस्ती नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बन्दोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ग) किसी दुकान या दुकानों के समूह के लिए तीन से कम अभ्यर्थी होने की स्थिति में उपलब्ध अभ्यर्थियों के बीच लॉटरी द्वारा बन्दोवस्ती की कार्रवाई की जायेगी।

5. इस बिक्री अधिसूचना में वर्णित शर्तें अनुज्ञप्ति की भी शर्तें मानी जायेगी। बिक्री अधिसूचना के प्रपत्र की प्रतिलिपि समाहर्ता के कार्यालय/विभाग के वेबसाईट www.excise-bihar.gov.in पर देखी जा सकती है।

6.(क) लौटरी द्वारा बंदोवस्त खुदरा दुकानों की अनुज्ञप्ति 1ली अप्रील, 2015 से प्रभावी होगी जो 31 मार्च, 2016 तक के लिए प्रदान की जायेगी। किसी अनुज्ञप्ति की बंदोवस्ती अगर वर्ष 2015-16 के बीच में किसी अन्य तिथि के प्रभाव से की जाती है तब भी बंदोवस्ती की तिथि से 31 मार्च, 2016 तक के लिए ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

(ख) अनुवर्ती वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति नवीकरण सरकार द्वारा निर्धारित बंधेज एवं शर्तों पर की जा सकती है, परंतु दो उत्पाद वर्ष जो दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त होगी, उससे अधिक अवधि के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी।

7. (क) लौटरी द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी (आवेदक) को अपने आवेदन के साथ वैयक्तिक पहचान-प्रमाण (आइडेंटिटी प्रुफ) के रूप में स्थायी निवास के प्रमाण के लिए फोटो युक्त पहचान-पत्र जैसे मतदाता परिचय-पत्र, पासपोर्ट, आयकर स्थायी खाता संख्या, एवं ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि समर्पित करने की अनिवार्यता होगी तथा यदि किसी कारणवश फोटो युक्त पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर नहीं समर्पित की जाती है तो किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो तथा राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, जल/टेलीफोन/बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट इनमें से किसी एक प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनिवार्यता होगी।

लौटरी प्रणाली द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली खुदरा देशी शराब/मसालेदार देशी शराब दुकानें, भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें तथा कंपोजिट शराब की दुकानों की बंदोवस्ती लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक या एक से अधिक दुकान या एक से अधिक समूह की दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकता है, वशर्त सभी दुकानों एवं समूह के दुकानों जिसके लिए आवेदन देगा उसपर विभाग द्वारा निर्धारित अलग-अलग आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फी) जमा करना होगा जो उन्हें वापस लौटाई नहीं जाएगी। परन्तु, अधिकतम तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोवस्ती एक जिले में एक व्यक्ति के साथ नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ख). लौटरी द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली उत्पाद खुदरा दुकानों के लिए प्रत्येक इच्छुक आवेदकों से दुकानों को दो श्रेणी में विभक्त कर यथा हाई पोर्टेंसियल जोन एवं लो पोर्टेंसियल जोन के आधार पर समर्पित की जानेवाली आवेदन के साथ दुकानवार निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि, जो वापसी योग्य नहीं है, को एकीकृत कर "हाई पोर्टेंसियल जोन" के लिए निर्धारित श्रेणीवार दुकानों के लिए निर्धारित किए गए आवेदन शुल्क की राशि ही निम्नवत निर्धारित दर से आवेदन शुल्क की राशि के रूप में देय होगा।

क्षेत्र का नाम	हाई पोटेन्शियल तथा लो पोटेन्शियल जोन के लिए
पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित	रु0 7000.00 (सात हजार)
अन्य नगर निगम क्षेत्र के लिए	रु0 5000.00 (पाँच हजार)
नगर परिषद् के लिए	रु0 4000.00 (चार हजार)
नगर पंचायत क्षेत्र के लिए	रु0 3000.00 (तीन हजार)
प्रखंड मुख्यालय (जो उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न हो)	रु0 3000.00 (तीन हजार)
अन्य ग्रामीण क्षेत्र	रु0 2000.00 (दो हजार)

छोटे समूह में उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती लेनेवाले इच्छुक-आवेदकों से आवेदन शुल्क की राशि समूह के प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग निर्धारित दर पर ही जमा कराई जाएगी, न कि समूह के दुकानों को एक दुकान मानकर उन्हें समूह के दुकान के लिए एक दुकान का आवेदन शुल्क जमा करने की छूट दी जाएगी।

अभ्यर्थी राज्य के किसी भी जिला में अवस्थित किसी भी दुकान के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि वे चाहें तो जिस जिला में वे रहते हैं, वहाँ के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से बाहर के जिला में अवस्थित दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन फीस बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से समर्पित करना होगा जो उस जिला में भुगतें होगा जिस जिला की दुकान के लिए वह आवेदन देगा।

8. बंदोबस्ती में किसी भी आवेदक के विरुद्ध निम्नांकित कोई अयोग्यता पाये जाने पर उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा -

- (क). अगर वह 21 वर्ष से कम आयु का हो,
- (ख). वह सरकारी बकायेदार हो।
- (ग). आवेदक का नाम उत्पाद बकायेदार की सूची या काली सूची में हो।
- (घ) अगर वह दिवालिया (इंसोल्वेंट) हो।

आवेदक को उपरोक्त अयोग्यता नहीं रहने के समर्थन में निम्नांकित आशय का शपथ पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(i) उसपर कोई सरकारी देयता अथवा बकाया नहीं है ;

(ii) उसका नाम उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बकाया अथवा काली सूची में नहीं है,

(iii) उसे बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रावधानों के अधीन उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से न तो वर्जित किया गया है और न किसी भी अन्य राज्य से तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित किया गया है तथा उसका नाम अन्य राज्यों की बकाया एवं काली सूची में नहीं है ;

नमि
5/2/15

(iv) उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसके बिहार उत्पाद अधिनियम 1915, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या किसी संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध में दंडित किये जाने की स्थिति में वह एक वर्ष से अधिक की कारावास-अवधि का सजायपता नहीं है ; और

(v) यह अन्डरटेकिंग कि उसके अनुज्ञाधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में, राज्य के जिन-जिन जिलों में पूर्व में वह लाइसेन्सी रहा है, उन जिलों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित नहीं होने से संबंधित प्रमाण-पत्र लाइसेन्स जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर यदि उसके द्वारा लाइसेंसिंग पदाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लाइसेंसिंग पदाधिकारी उसकी अनुज्ञाप्ति को निरस्त/विखंडित कर सकेगा।

9. बंदोबस्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पात्रता के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ सभी परिपूर्ण अभिलेख बंदोबस्ती के दिन को छोड़कर पॉंच दिन पूर्व जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करेगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद लेगा। आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात (आवेदन शुल्क की राशि सहित) समर्पित करने की अनिवार्यता होगी :

(क) एकल दुकान या समूह की दुकानों, जिसके लिए वे आवेदन देना चाहते हैं, उसके लिए अलग-अलग दर पर निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि नगद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा;

(ख) शपथ पत्र (बिक्री अधिसूचना के प्रावधानानुसार);

(ग) वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आइडेंटिटी प्रूफ) से संबंधित वांछित कागजात।

10. कर्तव्यस्थ पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बंदोबस्ती वाले हॉल में हॉल टिकट प्रस्तुत किये बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद, जैसी भी स्थिति हो, वास्तविक आवेदक या उसकी अनुपस्थिति में उसके एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को एक निःशुल्क हॉल टिकट निर्गत करेंगे।

11. दुकानों की बंदोबस्ती के लिए लॉटरी निकालने के दो दिन पूर्व उस दुकान के योग्य व्यक्तियों के नामों की सूची प्रकाशित कर दी जायेगी।

12. किसी भी आवेदक की वैयक्तिक पहचान पत्र, पात्रता एवं उनके द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के संबंध में दूसरे आवेदक द्वारा लिखित चुनौती/लॉटरी के पूर्व दी जा सकती है। आवेदक की पात्रता, शपथ-पत्र के संबंध में अनुज्ञाप्ति पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13 (क) यदि कोई दुकान/दुकानों के समूह किसी कारण से बंदोबस्त नहीं हो सके, तो समाहर्ता पुनः बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करेंगे। परंतु इसके लिए पन्द्रह दिन पूर्व बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(ख) बंदोबस्ती सर्वप्रथम वैसी दुकान/दुकानों के समूहों से प्रारंभ की जायेगी जिसका न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा कम होगी।

14 (क) बंदोवस्ती के तुरंत बाद बंदोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का बारहवां भाग अग्रिम अनुज्ञाशुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करना होगा।

बंदोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञप्तिफीस के बारहवें भाग के बराबर प्रतिभूति राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी या जिला के समाहर्ता अथवा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के पदनाम से बंधीकृत फिक्सड डिपोजिट (Scheduled Nationalised Bank का) या थातीकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में बंदोवस्ती के तुरंत बाद जमा करना होगा। बैंक गारंटी की मान्यता अवधि जून, 2016 रहेगी।

(ख) बंदोवस्तदार/अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक माह की 1ली तारीख को वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का 12वां भाग जिला के कोषागार में जमा करेगा। किसी कारणवश पहली तारीख तक अनुज्ञप्तिफीस जमा नहीं कर सकने की स्थिति में अनुज्ञाधारी संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से कारण सहित समय के लिए अनुरोध कर सकता है परंतु हर हाल में माह की 20वीं तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस अवश्य जमा कर देगा। यदि 20वीं तारीख सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो अगले कार्य दिवस को जमा करेगा, अन्यथा अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी तथा जमा संपूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उक्त दुकान/दुकानों के समूह लॉटरी के कम संख्या दो के अभ्यर्थी के साथ अथवा अभ्यर्थी संख्या-2 को दुकान लेने से इंकार करने पर अभ्यर्थी संख्या तीन के साथ बंदोवस्त कर दी जायेगी।

(ग). खुदरा उत्पाद दुकानों की समूह में बंदोवस्ती लेने वाले अनुज्ञाधारियों की, समूह के किसी दुकान की अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए उस दुकान की अनुज्ञप्ति के साथ-साथ समूह के अन्य दुकानों की अनुज्ञप्तियाँ भी बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का पालन करते हुए विखंडित कर समूह के सभी दुकानों की जमानत राशि एवं अग्रिम अनुज्ञाशुल्क जब्त कर ली जा सकेगी।

15. (क) जहां बंदोबस्ती पूरे वर्ष के लिए होगी वहां अनुज्ञप्ति फीस कुल वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का बारहवां भाग उपर्युक्त कंडिका (ख) के अनुसार जमा करेगा। परन्तु जहां बंदोवस्ती साल के बीच में होगी वहां समानुपातिक मासिक अनुज्ञाशुल्क देय होगी।

(ख) किसी मदिरा की दुकानें सम्पूर्ण उत्पाद वर्ष के लिए बंदोवस्त की जायेगी। अगर बंदोबस्ती साल के बीच में होगी तो वैसी स्थिति में वह उत्पाद वर्ष की 31वीं मार्च तक प्रभावी रहेगी।

(ग) प्रतिभूति राशि तथा एक माह की अग्रिम अनुज्ञप्ति फीस के साथ-साथ जिस माह से अनुज्ञप्ति दी गयी है, उस माह की अनुज्ञप्ति फीस भी जमा करने के बाद बंदोबस्तदार के पक्ष में अनुज्ञप्ति तुरंत निर्गत कर दी जायेगी। अग्रिम अनुज्ञाशुल्क, वर्ष की समाप्ति वाले माह में समायोजित होगी, इसके लिए अनुज्ञाधारी को आवेदन देना होगा परन्तु प्रतिभूति राशि अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के बाद, उसके बकाया राशि, अगर कुछ हो, की कटौती कर वापस की जायेगी।

(घ.) स्थल का अनुमोदन होते ही स्थल का ब्योरा अनुज्ञप्ति में अंकित कर दिया जायेगा।

16 (क). कंडिका 15(ग) के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त होते ही आपत्ति रहित स्थल उपलब्ध कराने की पूरी जबाबदेही अनुज्ञाधारी की होगी। अनुज्ञाधारी बंदोबस्ती के बाद दस दिनों के अंदर, आपत्ति रहित प्रस्तावित दुकान परिसर के पूर्ण विवरण के साथ उसके अनुमोदन हेतु जिला के समाहर्ता को आवेदन देंगे। समाहर्ता द्वारा अनुमोदित स्थल पर ही दुकान खोली जायेगी। स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय आवेदन प्राप्ति के दस दिनों के अन्दर समाहर्ता द्वारा कर दिया जायेगा, अन्यथा अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद तथा समाहर्ता संयुक्त रूप से राजस्व क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे।

बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति स्थल के अनुमोदन हेतु समर्पित किये जाने वाले अपने आवेदन पत्र के साथ अनुज्ञप्ति स्थल के प्रवेश-द्वार एवं अंदर के भाग तथा उसके चौहदी में स्थित भूमि-भवन/खाली स्थानों का **Still Photograph**, जिसमें मात्र उनकी भी उपस्थिति रहेगी, तीन प्रतियों में अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करेंगे।

(ख). बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से दो माह के अंदर अपने स्थायी लेखा संख्या (PAN) के कार्ड की छायाप्रति अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र के कंपोजिट शराब की दुकानें शहरी क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) की सीमा से कम से कम दो किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी तथा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित पंचायत की सीमा से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी।

17. स्थल चयन के कारण दुकान खोलने में बिलम्ब के लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेवार होगा, तथा इसके लिए किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति का वह हकदार नहीं होगा।

18. सरकार शराब पर देय उत्पाद कर में एवं राजस्व पर्षद लागत मूल्य में किसी भी समय परिवर्तन कर सकती है।

19.(क) बिक्री अधिसूचना में अंकित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का बारहवां भाग प्रत्येक माह में अनुज्ञाधारी को उठाना होगा। निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उपर किन्तु 15 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञप्ति फीस पर पूर्ण छूट होगी परन्तु निर्धारित कोटा के 15 प्रतिशत से भी उपर उठाव करने पर देय प्रति एल0पी0एल0 अनुज्ञप्ति फीस की राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के रूप में अग्रिम रूप से देय होगा। किसी माह का बचा हुआ कोटा अगले माह में उठाने पर इसे अतिरिक्त उठाव नहीं माना जायेगा परन्तु माह मार्च का बचा हुआ कोटा माह अप्रैल में उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) विदेशी शराब की खुदरा अनुज्ञप्ति के मामले में यदि कोई बंदोबस्तदार अपनी अनुज्ञप्त परिसर को "ऑन" बिक्री में परिवर्तित करना चाहेगा तो वह उस दुकान के वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का दस प्रतिशत अधिक राशि देने की सहमति के साथ संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को आवेदन देगा। उसके आवेदन पर विचार करते हुए उसे अपनी दुकान में "ऑन" बिक्री की अनुमति दी जायेगी लेकिन ऐसी स्थिति में उत्पाद नियम 47 के अंतर्गत स्थल आपत्ति रहित होने पर ही यह सुविधा दी जा सकती है।

नमि 3/4/15

(ग) "ऑन" बिक्री के लिए उसी परिसर से सटा हुआ एक अलग कमरा/जगह जो "ऑफ" काउन्टर से अलग हो, रखना होगा तथा उसका पूर्ण विवरण तथा नक्शा का ब्लू प्रिंट तीन प्रतियों में समाहर्ता के अनुमोदनार्थ देना होगा, जो समाहर्ता से अनुमोदित होना अनिवार्य होगा।

(घ) समानुपातिक मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक अनुज्ञाधारी को उठा लेना होगा।

(ङ) प्रत्येक प्रकार की मदिरा के बोतल/सैसे पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित रहेगा तथा उससे अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेचेगा।

20. अनुज्ञाधारी उठायी गयी सम्पूर्ण शराब की मात्रा अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के पूर्व तक बेचना सुनिश्चित करेगा।

21. मदिरा की अनापूर्ति की दशा, दुकान खुलने में विलम्ब, चुनाव के कारण दुकान की बंदी आदि की दशा में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी और नहीं अनुज्ञाशुल्क में छूट का कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।

22(क) अनुज्ञाधारी अपनी अनुज्ञप्ति परिसर के बाहर मुख्य दरबाजा पर लगी बोर्ड पर निम्नांकित सूचनाएं स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेगा -

- (i). दुकान का नाम एवं अनुज्ञप्ति अवधि,
- (ii). अनुज्ञाधारी का नाम
- (iii). दुकान के अधिकृत बिक्रेता का नाम
- (iv). सभी श्रेणी के शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य

(ख). बंदोबस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर के प्रवेश द्वार पर विभागीय पत्रांक 4085 दिनांक 31.12.10 में निर्धारित मानक के अनुसार 3'x2.5' साईज का साईन बोर्ड लगायेंगे तथा उस पर निर्धारित भाषा एवं रंग में ही आवश्यक सूचना लिखवायेंगे।

(ग). बंदोबस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर अथवा उसके आस-पास किसी उत्तेजक चित्र एवं भाषा वाले पेंटिंग्स/बोर्ड का उपयोग न तो स्वयं करेंगे और नहीं किसी अन्य को इसकी अनुमति देंगे।

(घ). बंदोबस्तधारी, निगम के डीपो से पासबुक में प्रविष्टि कराकर ही मदिरा का निर्गमण लेंगे।

23.(क) बंदोबस्तदार बिहार उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बने उन सभी नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार/राजस्व पर्षद द्वारा बनाये गये हैं, या समय-समय पर बनाये जायेंगे। साथ ही, अनुज्ञप्तिधारी सक्षम पदाधिकारी से समय-समय पर जारी किये गये या किये जाने वाले सभी संबंधित आदेशों, निर्देशों एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

(ख) अनुज्ञप्ति परिसर में निरीक्षण के समय अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेगा। स्टॉक पंजी प्रत्येक दिन का अद्यतन लिखना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्ति परिसर में अनुज्ञप्ति भी रखना होगा तथा मांगने पर सभी अभिलेख प्रदर्शित करना होगा।

24. राज्य सरकार अपनी बंदोबस्ती नीति में किसी भी समय परिवर्तन करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

5/2/15

25. इस बिक्री अधिसूचना की शर्त अनुज्ञप्ति की शर्त भी मानी जायेगी । इसके उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम की धारा 42 एवं अन्य संगत प्रावधनों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

21.2.15
समाहर्ता
मुंगेर

समारहणालय का नाम :- मुंगेर

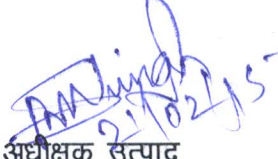
दिनांक

कार्यालय अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर

ज्ञापांक 237 / उ० दिनांक 21/02/15

प्रतिलिपि :- आयुक्त उत्पाद, बिहार पटना/ सभी प्रमण्डीय आयुक्त/ सभी प्रमण्डलीय उपायुक्त उत्पाद/ सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/ सभी अधीक्षक उत्पाद/ आरक्षी अधीक्षक, मुंगेर/ अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर/ तारापुर/ खड़गपुर/ मुंगेर के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/ जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर/ अध्यक्ष नगर निगम, मुंगेर/ अध्यक्ष नगर परिषद्, जमालपुर/ अध्यक्ष नगर पंचायत, खड़गपुर/ सभी निरीक्षक उत्पाद/ सभी अवर निरीक्षक उत्पाद/ सभी पंचायत के मुखिया को सूचनार्थ एवं विहित प्रचारार्थ हेतु प्रेषित। सूचना की एक प्रति नोटिश् बोर्ड पर चिपका दी जाए।

उत्पाद दुकान लेने के इच्छुक व्यक्ति उत्पाद अधीक्षक , मुंगेर के कार्यालय से कार्यालय अवधि के अन्दर आवेदन प्राप्त कर आवेदन समर्पित कर सकते हैं।


अधीक्षक उत्पाद,
मुंगेर।

क्र० सं०	समूह संख्या	दुकान का प्रकार	देशी शराब का मासिक कोट (LPL)	ग्रांटेड शराब का मासिक कोट (LPL)	रोल का योग (LPL)	अनुशासक (रु०)	विदेशी शराब का मासिक कोट (LPL)	विदेशी शराब का अनुशासक (रु०)	पीयर का मासिक कोट (B.L.)	पीयर का अनुशासक (रु०)	विदेशी शराब का कुल अनुशासक (रु०)	दुकान का अनुशासक (रु०)	समूह का अनुशासक (रु०)	अवशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20		मुंजेर नगर विभाग विदेशी शराब दुकान न० 1	-	-	-		2100	315000	4600	46000	361000	361000		
21	9	मुंजेर नगर विभाग विदेशी शराब दुकान न० 2					2100	315000	4600	46000	361000	361000	883250	
22		कम्पोजिट संख्या 2 (1. सिधिया 2. शिवकुंड)	880	120	1000	90000	440	66000	525	5250	71250	161250		
23		मुंजेर नगर विभाग विदेशी शराब दुकान न० 3					2100	315000	4600	46000	361000	361000		
24	10	मुंजेर नगर विभाग विदेशी शराब दुकान न० 4					2100	315000	4600	46000	361000	361000	901250	
25		कम्पोजिट दुकान सं० 05 (1. जय 2. मिर्जापुर बरदर 3. बाँक)	1056	144	1200	108000	440	66000	525	5250	71250	179250		
26		मुंजेर नगर विभाग विदेशी शराब दुकान न० 5					2100	315000	4600	46000	361000	361000		
27	11	मुंजेर नगर विभाग विदेशी शराब दुकान न० 6					2100	315000	4600	46000	361000	361000	892250	
28		कम्पोजिट दुकान सं० 13 (1. बहिया 2. तेरियाहीर 3. नाकी)	968	132	1100	99000	440	66000	525	5250	71250	170250		
29		मुंजेर नगर विभाग विदेशी शराब दुकान न० 7					2100	315000	4600	46000	361000	361000		
30	12	मुंजेर नगर विभाग विदेशी शराब दुकान न० 8					2100	315000	4600	46000	361000	361000	865250	
31		कम्पोजिट दुकान संख्या 15 (1. कसौती 2. बनहरा 3. धुना)	704	96	800	72000	440	66000	525	5250	71250	143250		
32		मुंजेर नगर विभाग विदेशी शराब दुकान न० 9					2100	315000	4600	46000	361000	361000		
33	13	मुंजेर नगर विभाग विदेशी शराब दुकान न० 10					2100	315000	4600	46000	361000	361000	892250	
34		कम्पोजिट दुकान सं० 16 (1. बैजलपुर 2. अग्रहाण 3. बड़ौना 4. गोवड़)	968	132	1100	99000	440	66000	525	5250	71250	170250		
35		मुंजेर नगर विभाग विदेशी शराब दुकान न० 11					2100	315000	4600	46000	361000	361000		
36	14	मुंजेर नगर विभाग विदेशी शराब दुकान न० 12			r		2100	315000	4600	46000	361000	361000	883250	
37		कम्पोजिट दुकान संख्या 17 (1. रमणकावाट पूर्वी 2. रमणकावाट पश्चिमी 3. नुरादे 4. मंझांग)	880	120	1000	90000	440	66000	525	5250	71250	161250		
38		जमलपुर नगर परिषद देशी शराब दुकान न० 1	6336	864	7200	648000						648000		
39	15	जमलपुर नगर परिषद देशी शराब दुकान न० 2	6336	864	7200	648000						648000	1475250	
40		कम्पोजिट दुकान सं० 7 (1. माताडीह 2. सारोबाग)	1056	144	1200	108000	440	66000	525	5250	71250	179250		
41		जमलपुर नगरपरिषद देशी शराब दुकान न० 3	6336	864	7200	648000						648000		
42	16	जमलपुर नगरपरिषद देशी शराब दुकान न० 4	6336	864	7200	648000						648000	1619750	
43		कम्पोजिट दुकान सं० 8 (1. नौबागही उत्तरी 2. नौबागही दक्षिणी 3. जानकीनगर 4. तारपुर रियात)	1760	240	2000	180000	890	133500	1025	10250	143750	323750		

वित्तीय 2015-16 के बन्दोबस्ती हेतु उत्पाद दुकानों का समूहवार सूची

क्र० सं०	समूह संख्या	दुकान का प्रकार	देशी शराब का मासिक कोट (LPL)	शराब का मासिक कोट (LPL)	दोनों का योग (LPL)	अनुज्ञाशुल्क (रु०)	विदेशी शराब का मासिक कोट (LPL)	विदेशी शराब का अनुज्ञाशुल्क (रु०)	घीर का मासिक कोट (B.L.)	घीर का अनुज्ञाशुल्क (रु०)	विदेशी शराब का कुल अनुज्ञाशुल्क (रु०)	दुकान का अनुज्ञाशुल्क (रु०)	समूह का अनुज्ञाशुल्क (रु०)	अनुज्ञाशुल्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		मुंजेर नगर विभाग देशी शराब दुकान नं० 1	5456	744	6200	558000	-	-	-	-	-	558000		
2	1	कम्पोजिट दुकान सं० 1 (1. श्रीनारायण 2. शंकरपुर 3. कटहरिया)	1056	144	1200	108000	440	66000	525	5250	71250	179250	737250	
3		मुंजेर नगर विभाग देशी शराब दुकान नं० 2	5456	744	6200	558000	-	-	-	-	-	558000	773250	
4	2	कम्पोजिट दुकान सं० 9 (1. पाटन पूर्वी 2. पाटन पश्चिमी 3. रामपुर कला)	1408	192	1600	144000	440	66000	525	5250	71250	215250		
5		मुंजेर नगर विभाग देशी शराब दुकान नं० 3	5456	744	6200	558000	-	-	-	-	-	558000		
6	3	कम्पोजिट दुकान सं० 03 (1. पट्टन 2. जाफरनगर)	1232	168	1400	126000	440	66000	525	5250	71250	197250	952500	
7		कम्पोजिट दुकान सं० 04 (1. हेमनगर 2. बाराबंकी 3. कुतपुर रियास)	1232	168	1400	126000	440	66000	525	5250	71250	197250		
8		मुंजेर नगर विभाग देशी शराब दुकान नं० 4	5456	744	6200	558000	-	-	-	-	-	558000	743550	
9	4	कम्पोजिट दुकान संख्या 19 (1. बिन्दा रियास बरियार 2. बिन्दा रियास हरिणमार 3. बीरपुर)	1056	144	1200	108000	470	70500	705	7050	77550	185550		
10		मुंजेर नगर विभाग देशी शराब दुकान नं० 5	5456	744	6200	558000	-	-	-	-	-	558000	824100	
11	5	कम्पोजिट दुकान सं० 10 (1. रतनपुर 2. चौराहा 3. सजुआ)	1760	240	2000	180000	520	78000	810	8100	86100	266100		
12		मुंजेर नगर विभाग देशी शराब दुकान नं० 6	5456	744	6200	558000	-	-	-	-	-	558000		
13	6	कम्पोजिट दुकान सं० 6 (1. इन्दुख पूरव 2. इन्दुख पाश्चिमी 3. रामनगर)	1848	252	2100	189000	840	126000	825	8250	134250	323250	1001200	
14		कम्पोजिट दुकान सं० 30 (1. टीकामपुर 2. मोरती)	704	96	800	72000	290	43500	445	4450	47950	119950		
15		मुंजेर नगर विभाग देशी शराब दुकान नं० 7	5456	744	6200	558000	-	-	-	-	-	558000	714750	
16	7	कम्पोजिट दुकान सं० 11 (1. मधुन दरियापुर 2. मुंदरी 3. कोरिया 4. खैर)	836	114	950	85500	440	66000	525	5250	71250	156750		
17		मुंजेर नगर विभाग देशी शराब दुकान नं० 8	5456	744	6200	558000	-	-	-	-	-	558000		
18	8	कम्पोजिट दुकान सं० 29 (1. आजीमगंज 2. मरहटा 3. मरहामा)	726	99	825	74250	440	66000	525	5250	71250	145500	864750	
19		कम्पोजिट दुकान सं० 18 (1. इन्दुखी 2. बरियारपुरखतरी 3. बरियारपुर गौरीपुर 4. खनपुर)	880	120	1000	90000	440	66000	525	5250	71250	161250		

क्र० सं०	संस्कृत संख्या	दुकान का प्रकार	देशी शराब का मासिक कोट (LPL)	ग्राउंडशेड का मासिक कोट (LPL)	देनो का योग (LPL)	अनुज्ञापुस्तक (रु०)	विदेशी शराब का मासिक कोट (LPL)	विदेशी शराब का अनुज्ञापुस्तक (रु०)	वीयर का मासिक कोट (B.L.)	वीयर का अनुज्ञापुस्तक (रु०)	विदेशी शराब का कुल अनुज्ञापुस्तक (रु०)	दुकान का अनुज्ञापुस्तक (रु०)	संस्कृत का अनुज्ञापुस्तक (रु०)	अनुज्ञापुस्तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	17	जमालपुर नगर परिषद विदेशी शराब दुकान न० 1					2175	326250	4200	42000	368250	368250	736500	
45		जमालपुर नगर परिषद विदेशी शराब दुकान न० 2					2175	326250	4200	42000	368250	368250		
46		जमालपुर नगर परिषद विदेशी शराब दुकान न० 3					2175	326250	4200	42000	368250	368250		
47	18	जमालपुर नगर परिषद विदेशी शराब दुकान न० 4					2175	326250	4200	42000	368250	368250	736500	
48		खड़गपुर नगर पंचायत स्तर देशी शराब दुकान न० 1	2728	372	3100	279000						279000	616000	
49	19	खड़गपुर नगर पंचायत स्तर विदेशी शराब दुकान न० 1					2000	300000	3700	37000	337000	337000		
50	20	खड़गपुर नगर पंचायत स्तर देशी शराब दुकान न० 2	2728	372	3100	279000						279000		
51		खड़गपुर नगर पंचायत स्तर विदेशी शराब दुकान न० 2					2000	300000	3700	37000	337000	337000	616000	
52		धरहरा प्रखण्ड स्तर देशी शराब दुकान	1621	220	1841	165690						165690		
53	21	धरहरा प्रखण्ड स्तर विदेशी शराब दुकान					1000	150000	1008	10080	160080	160080	469770	
54		कर्मगोष्ठि दुकान सं 28 (1. बंगालवा 2. ईंटवा 3. अमारी)	704	96	800	72000	440	66000	525	5250	71250	144000		
55		असराज प्रखण्ड स्तर देशी शराब दुकान	1584	216	1800	162000						162000		
56	22	कर्मगोष्ठि दुकान संख्या 24 (1. रामपुर विषय 2. माणिकपुर)	1056	144	1200	108000	440	66000	525	5250	71250	179250	341250	
57		तारापुर प्रखण्ड स्तर देशी शराब दुकान	2640	360	3000	270000						270000		
58	23	कर्मगोष्ठि दुकान संख्या 21 (1. बिहमा 2. बेलाहीर 3. गणौली 4. बौरी)	1144	156	1300	117000	440	66000	525	5250	71250	234000	504000	
59		संथामपुर प्रखण्ड स्तर देशी शराब दुकान	1584	216	1800	162000						162000		
60	24	कर्मगोष्ठि दुकान सं 23 (1. रामपुर 2. इरमट्टा 3. बड़ौलिया)	1056	144	1200	108000	640	96000	825	8250	104250	212250	535500	
61		कर्मगोष्ठि दुकान सं 26 (1. दुर्गापुर 2. बलिया 3. दीनाराज)	880	120	1000	90000	440	66000	525	5250	71250	161250		
62		बलियापुर प्रखण्ड स्तर विदेशी शराब दुकान					1300	195000	1458	14580	209580	209580		
63	25	बलियापुर प्रखण्ड स्तर देशी शराब दुकान	2200	300	2500	225000					225000	225000	620130	
64		कर्मगोष्ठि दुकान संख्या 14 (1. कटहरिया पश्चिमी 2. कटहरिया पूर्वी 3. कटहरिया दक्षिणी)	1056	144	1200	108000	470	70500	705	7050	77550	185550		
65		तारापुर प्रखण्ड स्तर विदेशी शराब दुकान					1620	243000	1733	17330	260330	260330		
66	26	कर्मगोष्ठि दुकान संख्या 12 (1. बनगाभा 2. लौगा 3. सौरा 4. बरहई)	1056	144	1200	108000	270	40500	600	6000	46500	154500	608580	
67		कर्मगोष्ठि दुकान संख्या 22 (1. गान्धीपुर 2. परभारा 3. बोहई)	1188	162	1350	121500	440	66000	625	6250	72250	193750		

क्र० सं०	समूह संख्या	दुकान का प्रकार	देशी शराब का मासिक कोट (LPL)	क्र० १० का मासिक कोट (LPL)	देवो का योग (LPL)	अनुशयुक्त (रु०)	विदेशी शराब का मासिक कोट (LPL)	विदेशी शराब का अनुशयुक्त (रु०)	वीयर का मासिक कोट (B.L.)	वीयर का अनुशयुक्त (रु०)	विदेशी श० का मूल अनुशयुक्त (रु०)	दुकान का अनुशयुक्त (रु०)	समूह का अनुशयुक्त (रु०)	अनुशयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68		संथामपुर प्रखण्ड स्तर विदेशी शराब दुकान					1100	155000	1308	13080	178080	178080		
69	27	कम्पोजिट दुकान सं 25 (1. बिकुली 2. कटिमासी 3. ददरीनाला)	1232	168	1400	126000	440	66000	525	5250	71250	197250	536580	
70		कम्पोजिट दुकान सं 27 (1. दरियापुर - 1 2. बोनाजी 3. गोराट)	880	120	1000	90000	440	66000	525	5250	71250	161250		
71		असराजं प्रखण्ड स्तर विदेशी शराब दुकान					925	138750	1108	11080	149830	149830		
72	28	देरियाबनबर प्रखण्ड स्तर देशी शराब दुकान	968	132	1100	99000						99000	428080	
73		कम्पोजिट दुकान संख्या 20 (1. मकवा 2. जोरासी 3. अमैया)	1056	144	1200	108000	440	66000	525	5250	71250	179250		
योग:-			117363	16003	133366	12002940	57915.0	8687250	103605	1036050	9948300	21772740	21772740	

समाहर्ता, मुंबेर।